मुख्यमंत्री और 'आप' विधायक के खिलाफ 11 शिकायतें दर्ज

- विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ अब तक कई थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं
- यह सिर्फ तिवारी का अपमान नहीं समूचे पूर्वांचल का अपमान : रामवीर सिंह बिधूड़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान शुरू हुए विवाद दिन-प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस विवाद में अब तक भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से विभिन्न पुलिस थानों में 11 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं।

शिकायत में मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों का नाम दिया गया है। यह शिकायत उत्तर पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त को सौंपी गई है। शिकायत में कहा गया है कि 'आप' नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मारपीट व धक्का-मुक्की की है। शिकायत में अब तक सामने आए वीडियो के अनुसार विधायक अमानतुल्ला खान का नाम भी शामिल किया गया है।

भाजपा ने किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर

सिग्नेचर ब्रिज पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के इशारे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर हमला हुआ। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। इसके विरोध में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने चंदगीराम अखाड़े के पास ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का प्रयोग किया। इसके बाद में बैरिकेड तोड़ने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्यकर्ता इस पूरे मामले में विधायक अमानतुल्ला खान को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रहे थे।

दिल्ली सरकार ने मनोज तिवारी पर शिकायत दर्ज कराने का आदेश दिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

सिग्नेचर ब्रिज विवाद मामले में मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने गृह विभाग को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को पत्र लिखकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की।

इस मामले में दिल्ली सरकर के मुख्य सचिव गृह मनोज परिदा को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि समारोह स्थल पर हुए हंगामे के मामले में मनोज तिवारी व उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मामले में विभाग को कहा गया है कि मौके पर मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी उपस्थित थे। जहां भाजपा नेता गैर कानूनी तरीके से एकत्र हुए और जबरन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान सरकारी अधिकारियों के कामकाज में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने की कोशिश की है।

NOTICE IN
O.M.P. (I) (COMM) No. 444/2017

M/s Paisalo Digital Limited
(Formerly known as S. E. Investments Ltd.)
...Claimant

Ashwani Kumar Chawla & Ors.
...Respondents

NOTICEES :-

1. Shri Ashwani Kumar Chawla S/o Shri Mool Singh Chawla, R/o B-175, Vivek Vihar, New Delhi-110092
2. Smt. Asha Chawla W/o Shri Krishna Kumar Chawla, R/o B-174, Vivek Vihar, New Delhi-110092
3. Smt. Reena Chawla W/o Shri Amar Jeet Chawla, R/o B-174, Vivek Vihar, New Delhi-110092

Take notice that previous notices sent to you Noticee by Hon'ble Delhi High Court in O.M.P. (I) (COMM) No. 444/2017 have returned back unserved. Thus the services of notice is done through the present publication and the Respondents are requested to appear before the Hon'ble Court on 16.11.2018 failing which appropriate action as per law shall be taken.

By Order :
Hon'ble Delhi High Court
Mr. Rakesh Kumar (DHJS)
Joint Registrar (Judicial)

New Delhi Television Limited
CIN: L92111DL1988PLC033099
Regd. Off.: 207, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi -110020
Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 2923 1740
E-mail:corporate@ndtv.com; Website:www.ndtv.com

NDTV

Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial results for the Quarter and Six Months Ended 30 September 2018

(Rs. in Lakhs except per share data)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	A	B	C	D	E	F
	3 months ended (30/09/2018)	Preceding 3 months ended (30/06/2018)	Corresponding 3 months ended (30/09/2017) in the previous year	3 months ended (30/09/2018)	Preceding 3 months ended (30/06/2018) (Restated)	Corresponding 3 months ended (30/09/2017) in the previous year
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	5,949	6,698	7,053	9,348	9,818	10,208
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	19	60	(1,621)	257	(802)	(1,749)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	19	60	(1,792)	257	(802)	(1,920)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	19	60	(1,792)	117	(1,009)	(2,200)
Total Comprehensive Income for the period	19	87	(1,809)	117	(985)	(2,222)
Equity Share Capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Earning Per Share (before and after extraordinary items) of Rs. 4/- each						
Basic:	0.03	0.09	(2.78)	0.18	(1.56)	(3.41)
Diluted:	0.03	0.09	(2.78)	0.18	(1.56)	(3.41)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com.

For New Delhi Television Limited
Prannoy Roy
Executive Co-Chairperson

Place : New Delhi
Date : 05 November, 2018

SpiceJet

स्पाइस जेट लिमिटेड
CIN:L51909DL1984PLC288239
पंजी. कार्यालय: इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 1डी, नई दिल्ली-110037
वेबसाईट: www.spicejet.com; ई-मेल: investors@spicejet.com; टेली: +91 124 3913939; फैक्स: +91 124 393844

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी की 34वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') गुरुवार, 29 नवम्बर, 2018 को 10.00 बजे पूर्वा. में श्री सत्य साई इन्टरनेशनल सेन्टर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण ऐसे सदस्यों को कर दिया गया है जिनके इमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं तथा इन दस्तावेजों की भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धत्ति में भेज दी गई है जिसका प्रेषण 5 नवम्बर, 2018 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.spicejet.com के निवेशक खंड में तथा मै. कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) की वेबसाईट अर्थात् https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।
3. कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देशों के लिये सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना देखें। किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य शेयरधारकों के लिये Frequently Asked@Questions (FAQ's) तथा http://evoting.karvy.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा श्रीमती सी शोभा आनंद, उप महा प्रबंधक, कार्वी से ईमेल helpdesk at evoting@karvy/com के माध्यम से या टेली नं. 18003454001 पर या कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाद्दीवावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 में सम्पर्क करें।
   सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: क) ई-वोटिंग अवधि 25 नवम्बर, 2018 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी तथा 28 नवम्बर, 2018 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर कार्वी द्वारा ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। ख) कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 नवम्बर, 2018 को भौतिक पद्धत्ति या डीमैट रियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में मतदान के माध्यम से अपना मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। ग) जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों वे एजीएम स्थान पर अपना पोल द्वारा मतदान कर सकते हैं। घ) ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद भी कोई सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन, एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये वे अधिकृत नही होंगे तथा ङ) यदि कोई सदस्य एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 नवम्बर, 2018 को शेयर धारित करते हैं, वे ई-वोटिंग के लिये एजीएम सूचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करें अथवा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करने के लिये evoting@karvy.com पर कार्वी को ईमेल करें। लेकिन, यदि आप ई-वोटिंग के लिये कार्वी में पहले से पंजीकृत हों तो अपना मतदान करने के लिये आप अपने वर्तमान यूजर आई डी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत निर्मित लागू होने वाले नियमों के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन पर के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें कम्पनी की 34वीं एजीएम के उद्देश्य से 23 नवम्बर, 2018 से 29 नवम्बर, 2018 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

स्पाइसजेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
चन्दन सैंड
वरि. बी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव

स्थान: गुड़गाँव
तिथि: 5 नवम्बर, 2018

कोई लाइन नहीं • कोई कैश नहीं
कैशलेस अपनाने का समय आ गया

टिकट बुक करने के लिए
यूटीएस मोबाइल ऐप का उपयोग करें

• समय की बचत • सुविधाजनक • लाइन में लगने की जरूरत नहीं
• कैश की जरूरत नहीं • पर्यावरण-हितैषी

यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से पेपरलेस टिकट बुक कराएं

आप सीज़न टिकट और प्लेटफार्म टिकट खरीद/नवीकृत करा सकते हैं

यूटीएस टिकट स्टेशन परिसर से 20 मीटर की दूरी से बुक किया जा सकता है

प्रत्येक रिचार्ज पर 5 प्रतिशत बोनस

आर-वॉलेट को ऑनलाइन के साथ ही यूटीएस काउंटर पर रिचार्ज किया जा सकता है

चरण 1 - एंड्रॉयड/आईओएस/विन्डोज डिवाइस पर ऐप डाउनलोड करें
चरण 2 - सभी विवरणों के साथ स्वयं को पंजीकृत/साइन अप करें
चरण 3 - मोबाइल नं. एवं पासवर्ड के साथ लॉग इन करें
चरण 4 - न्यूनतम रु. 100/- और अधिकतम रु. 10000/- तक की राशि के साथ आर-वॉलेट रिचार्ज करें
चरण 5 - बुक टिकट - सामान्य बुकिंग - बुक एंड ट्रेवल (पेपरलेस) पर जाएं - जाने एवं आने का स्टेशन भरें, युवा, बच्चे एवं सभी विवरण भरकर टिकट बुक करायें
चरण 6 - टिकट दिखायें

UTS
mobtkt.nr@nr.railnet.gov.in
अधिक जानकारी के लिए कृपया www.utsonmobile.indianrail.gov.in लॉग ऑन करें।

उत्तर रेलवे
आपकी सुविधा – हमारा ध्येय
हमें : www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ
पर हमें फॉलो करें

यह सुविधा अब सभी जोनल रेलवे पर उपलब्ध है।

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

ध्यान दें!

आपका सहयोग

पटाखों की बिक्री तथा उपयोग के लिए
माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

- परिसरों में पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित सेफ वाटर एंड एयर स्प्रिंकलर्स (एसडब्ल्यूएएस) के अनुसार कम प्रदूषण वाले पटाखों (उन्नत पटाखे) और कम धुआँ छोड़ने वाले हरित पटाखों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के पटाखे नहीं बेचे जायेंगे।
- प्रतिबंधित/अस्वीकृत पटाखों की श्रेणियां
  - जुड़े हुए पटाखे (सीरीज पटाखे या लड़ियां)
  - बेरियम साल्ट्स/लिथियम/आर्सेनिक/एंटीमॉनी/सीसा/पारा से युक्त पटाखे
  - माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रतिबंधित पूर्व में निर्मित पटाखे
- केवल वैसे पटाखों को बेचने की अनुमति है जिसकी डेसीबल (ध्वनि) स्वीकृत सीमा (फटने के स्थान से 4 मीटर पर 125 डेसीबल (एआई) या 145 डेसीबल (सी) पीके) के अंदर हो।
- साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं : अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों से न्यूनतम 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन में शामिल है या कोई अन्य क्षेत्र जिसे सक्षम प्राधिकरण ने साइलेंस जोन घोषित किया है।
- माननीय उच्चतच न्यायलय के निर्देशों के अनुसार पटाखे चलाने का समय :

रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक	दिवाली के दिन
प्रात: 04:00 बजे से 05:00 बजे तक रात 09:00 बजे से 10:00 बजे तक	गुरपुरब के दिन
रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक	क्रिसमस एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या

- सामूहिक रूप से पटाखे यथासम्भव पूर्व-चिन्हित क्षेत्रों/स्थानों पर चलाये जा सकते हैं।

सभी संबंधित व्यक्ति इसका ध्यान रखें और पालन करें

दिल्ली पुलिस की ओर से
आप सभी को दिवाली की शुभकामनायें

DP/9030/18